अति–आवश्यक
प्रशासन शहरों / गाँवों के संग अभियान. 2021

राजस्थान–सरकार

कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, "पंजीयन–भवन", अजमेर

क्रमांकः एफ.7(42)जन / प्रशा. शहरों एवं गाँवों के संग अभियान, / 2021 / 11780-11797 दिनांक : 01-10-2021

समस्त उप महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान।

विषय : प्रशासन शहरों / गाँवों के संग अभियान, 2021 के अन्तर्गत स्थानीय निकायों द्वारा जारी विभिन्न पट्टा विलेखों के पंजीयन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 02.10.2021 से प्रशासन शहरों / गाँवों के संग अभियान का आयोजन किया जा रहा है। जिसके तहत स्थानीय निकायों / ग्राम पंचायतों द्वारा विभिन्न प्रकार के पट्टा विलेख जारी किये जायेंगें। पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा–17 के अनुसार जारी पट्टा विलेख अनिवार्य पंजीयन योग्य दस्तावेजों की श्रेणी में आने से इनका पंजीयन कराया जाना आवश्यक है। अतः उक्त क्रम में निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते है:–

1. पूर्ण कालीन उप पंजीयक कार्यालयों से एक कार्मिक पंजीयन विभाग के प्रतिनिधि के रूप में कैम्प स्थल पर आवश्यक रूप से उपस्थित रहेगा।
2. कैम्प स्थल पर जारी होने वाले पट्टा विलेखों का विवरण स्थानीय निकाय विभाग से प्रतिदिन प्राप्त करेगा एवं पक्षकारों को पट्टा विलेख उप पंजीयक कार्यालय में उपस्थित होकर पंजीबद्ध कराने हेतु प्रेरित करेगा।
3. पक्षकारों को पंजीयन नियमों की जानकारी देकर स्पष्ट करेगा की यदि पट्टा विलेखों को पंजीबद्ध नहीं कराया जाता है, तो दस्तावेज विधिक साक्ष्य के रूप में उपयोग में नहीं लिया जा सकता है। इसलिए इसका पंजीयन आवश्यक है।
4. कैम्प स्थल पर जारी पट्टा विलेखों पर देय स्टाम्प ड्यूटी की गणना हेतु स्थानीय निकाय कार्मिकों का सहयोग करेगा। गणना हेतु विभाग के पत्रांक 10887–11221 दिनांक 01.10.2021 से समस्त निकायों को एवं विभागीय अधिनस्थ कार्यालयों को पृथक से दिशा–निर्देश मय गणना तालिका प्रेषित की जा चुकी है।
5. अभियान अवधि के दौरान शनिवार के राजकीय अवकाश (06.11.2021 के अतिरिक्त) को उप पंजीयक कार्यालय खुले रहेंगें तथा शनिवार के दिन भी दस्तावेजों का पंजीयन अन्य राजकीय दिवसों की भांति किया जायेगा।
6. कैम्प के समाप्ति पर पट्टा विलेखों की सूची स्थानीय निकाय विभाग से प्राप्त की जाकर उप पंजीयक कार्यालय में भिजवाई जायेगी। सूची में अंकित पक्षकारों द्वारा दस्तावेज पंजीबद्ध कराये जाने पर चिन्हित किया जायेगा। पंजीयन से शेष रहे पट्टा विलेखों के संदर्भ में संबंधित पक्षकारों को पत्र जारी कर दस्तावेज पंजीयन हेतु सूचित किया जायेगा।
7. कैम्प स्थल पर दस्तावेजों के पंजीयन एवं ड्यूटी संबंधी समस्त जानकारी उपलब्ध कराने का दायित्व कैम्प में उपस्थित होने वाले कार्मिक का होगा।
8. कैम्प में नियुक्त किये गये कार्मिक के अवकाश पर होने की स्थिति में अन्य कार्मिक की ड्यूटी आवश्यक रूप से लगाई जायेगी।
9. कैम्प स्थल पर स्टाम्प वैण्डर / डीड राईटर्स / SHCIL द्वार अधिकृत एसीसी की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे।
10. कैम्प स्थल पर स्टाम्पों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जावे। भौतिक स्टाम्प पत्रों की कमी न हो इस बात का ध्यान रखा जावे।
11. कैम्प स्थल पर उपस्थित कार्मिक जिला प्रशासन एवं शिविर प्रभारी से लगातार सम्पर्क में रहें।

उक्त निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित करावें।

1/10/21

(महावीर प्रसाद)
महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
राजस्थान–अजमेर

क्रमांकः एफ.7(42)जन / प्रशा. शहरों एवं गाँवों के संग अभियान, / 2021 / 11798-12336 दिनांक : 01-10-2021

प्रतिलिपि– समस्त उप पंजीयक, पूर्णकालीन एवं पदेन, राजस्थान।

1.10.21

(ओंकार मल)
अतिरिक्त महानिरीक्षक(प्रशासन),
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
राजस्थान–अजमेर